रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2011/आषाढ 16, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 86

No. 113] DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2011/ASADHA 16, 1933 [N.C.T.D. No. 86

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जुलाई, 2011

फा. सं. 1(136)/पंजी. शाखा/मुख्या./मंडली. आयु./2011/14243.— दी कोर्ट फीस (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2010 (2011 का दिल्ली अधिनियम 01) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल नियत करते हैं कि यह अधिनियम दिल्ली राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

धर्मेन्द्र, सचिव

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th July, 2011

No. F. 1(136)/Regn.Br./HQ/Div.Com./2011/14243.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Court-Fees (Delhi Amendment) Act, 2010 (Delhi Act 01 of 2011), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, orders that this Act shall come into force from the date of publication of this notification in Delhi Gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

DHARMENDRA, Secy.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जुलाई, 2011.

फा. सं. 39(7)/यूडी/डीयूएसआईबी/2011/6921.— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, मलिन बस्ती (सुधार व सफाई) अधिनियम, 1956 (1956 का 96) की धारा 2 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सिद्धार्थ शर्मा को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित शक्तियों के प्रयोग तथा कार्यों के निष्पादन हेतु, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। वह दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में इस पद पर बने रहने तक कार्य करते रहेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th July, 2011

F. No. 39(7)/UD/DUSIB/2011/6921.—In exercise of the powers conferred on him by clause (c) of Section 2 of The Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956 (96 of 1956), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Sidharth Sharma as the Competent Authority to exercise the powers and discharge of the functions under the provisions of the said Act, until the day he is entrusted at this post in the Delhi Urban Shelter Improvement Board.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2011

सं. 315/नियम/दि.उ.न्या.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 235, पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 47 एवं इस निमित्त समर्थ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के अवकाश के विषय में एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है :—

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (अवकाश) नियम, 2010

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक.**— ये नियम दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (अवकाश) नियम, 2010 कहलाए जाएंगे।

2. **प्रारंभ.**— ये नियम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किए जाने की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

3. **उपयोजन का विस्तार.**— ये नियम दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारियों पर लागू होंगे।

4. **परिभाषाएं.**— जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) ''लेखा अधिकारी'' का अर्थ वह अधिकारी है, उसका शासकीय पदनाम जो भी हो, जिसके जिला में सेवा के सदस्य का कार्यालय स्थित है।

(ख) ''प्रशासक'' का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया प्रशासक है।

(ग) ''अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी'' का अर्थ इन नियमों की प्रथम अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी है जो कथित अनुसूची के स्तंभ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए अवकाश को प्रदान करने हेतु सक्षम है।

(घ) सेवा के किसी सदस्य के सम्बन्ध में ''सेवानिवृत्ति की तिथि'' अथवा "उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि" का अर्थ उस मास के अंतिम दिन का अपराह्न होता है जिसमें सेवा का सदस्य उस आयु को प्राप्त कर लेता है जो उसकी सेवा को प्रबंधित करने वाले नियम और शर्तों के अधीन सेवानिवृत्ति हेतु विहित की गई है।

(च) ''जिला न्यायाधीश'' का अर्थ संबंधित जिला का वह जिला न्यायाधीश होता है जिस के जिला में सेवा का सदस्य नियुक्त है।

(छ) ''कार्यकाल'' का अर्थ सेवा के सदस्य के रूप में कार्य से है और उसके अंतर्गत है :—

(i) परिवीक्षाधीन की हैसियत से सेवा।

(ii) उस प्रकार के अन्य कालावधि जिन्हें उच्च न्यायालय साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा कार्यकाल घोषित करे।

(ज) ''फार्म'' का अर्थ वह फार्म होता है जिसका संलग्न इस नियमों की द्वितीय अनुसूची में किया गया है।

(झ) ''सरकार'' का अर्थ है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

(ट) ''उच्च न्यायालय'' का अर्थ है दिल्ली उच्च न्यायालय।

(ठ) ''अवकाश'' का अर्थ है एवं उसके अंतर्गत है उपार्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, परिवर्तित अवकाश, अदेय अवकाश, असाधारण अवकाश, अध्ययन अवकाश, विशेष अशक्तता अवकाश, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, विशेष मर्ज अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश अथवा अन्य प्राधिकृत अनुपस्थिति अवकाश।

(ड) ''अवकाश वेतन'' का अर्थ वह मासिक रकम है जो सेवा के सदस्य को इन नियमों के अधीन अवकाश प्रदान किए जाने पर अनुज्ञेय होती है।

(ध) ''सेवा के सदस्य'' का अर्थ वह व्यक्ति है जिसकी सेवा में नियुक्ति दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1970 के उपबन्धों के अधीन हुई हो।

(ण) ''मास'' का अर्थ कलेण्डर मास है।

(त) ''सेवा'' का अर्थ दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा है जिसकी स्थापना दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1970 की धारा 3 के अधीन हुई।

(थ) इसमें जो शब्द एवं पद प्रयोग किए गए हैं और परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन उनकी परिभाषा मूल और अनुपूरक नियम में की गई है, उन्हें उसी अर्थ में लिया जाएगा जो उन्हें मूल और अनुपूरक नियम में यथास्थिति समनुदेशित किया गया है।

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional